COURT FEE TEN RUPEES   COURT FEE TEN RUPEES

181

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी क्रमांक R 3217-II/12 सन्

1. मोती उम्र 75 वर्ष तनय दुर्गा काछी (कुशवाहा)
2. बाबू उम्र 40 वर्ष तनय फिरुआ काछी (कुशवाहा)
3. जग्गू उम्र 30 वर्ष तनय सरजू काछी (कुशवाहा)
4. रामू उम्र 45 वर्ष तनय गुन्दा काछी (कुशवाहा)
5. श्रीमती भुमानी बाई पत्नी गुन्दा काछी (कुशवाहा)

सभी निवासीगण मुकरवा तहसील नौगॉव
जिला छतरपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्ता/

21-9-12 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. नन्नाई कुशवाहा उम्र 47 वर्ष तनय हल्लू कुशवाहा
2. हरचरन कुशवाहा उम्र 36 वर्ष तनय हल्लू कुशवाहा

दोनो निवासीगण मुकरवा तहसील नौगॉव
जिला छतरपुर म0प्र0 ....प्रत्युत्तरदाता/आवेदक

माननीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नौगॉव जिला छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्र. 41/अपील/2011-12से दु:खित होकर श्रीमान के समक्ष धारा 50 म.प्र. भू. रा. सं. के अर्न्तगत प्रस्तुत निगरानी

महोदय,

उक्त प्रकरण में निगरानी कर्ता गण सादर निम्न लिखित विनय करते है कि:-

1. यह कि भूमि खसरा नं. 2752 रकवा 0.69 है0 स्थित आराजी ग्राम मऊ तहसील नौगॉव जिला छतरपुर में निगरानी कर्तागण का नाम भूस्वामी की हैसियत से वर्तमान राजस्व अभिलेख में अंकित है तथा निगरानी कर्तागण उक्त भूमि पर स्वत्वाधारी व आधिपत्यधारी है।

2. यह कि न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील नौगॉव द्वारा प्र0 क्र0 22/अ 6 अ/08.09 में उक्त भूमि को निगरानी कर्तागण व प्रत्युत्तरदाता के समझौता के आधार पर दिनांक 1/8/2009 को राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने के आदेश उपरान्त निगरानी कर्तागण का नाम राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किया गया था तहसीलदार के समक्ष उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 1/8/2009 की जानकारी प्रत्युत्तदातागण को उसी समय दे दी गई थी प्रत्युत्तदाता ने आदेश पत्रिका दिनांक 1/8/2009 पर स्वेच्छा पूर्वक जानकारी के हस्ताक्षर किये थे। दोनो पक्षकार आदेश मुताबिक उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है।

3. यह कि प्रत्युत्तदाता गण द्वारा असदभाव पूर्वक पारिवारिक कलह हो जाने पर जानबूझकर उक्त आदेश दिनांक 1/8/2009 के विरूद्व अपील अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव के समक्ष दिनांक 24/9/11 को मनगढ़न्त तथ्य निर्मित कर निराधार शीर्ष 2 वर्ष वाद समयावधि बाहय अपील प्रस्तुत की गई जो पंजीवृद्व प्र0 क्र. 41/अपील-2011-12 पर कर सुनवाई में ली गई

4. यह कि अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अर्न्तगत अपील के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अवधि विधान शिथिल करते हुये विनिश्चयन हेतु ग्राहये कर दिनांक 7/8/2012 को उक्त आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया। निगरानी कर्ता द्वारा उक्त प्रश्नाधीन आदेश दि 7/8/2012 ...

R. 3217-III/12 (ललितपुर?)

18-10-16.

आवेदक वर्ष 2012 से
निरंतर गैर हा. रहा है।
कई बार सूचना भेजने के
पश्चात भी नहीं आया। अतः
[illegible]
[illegible] प्रकरण
[illegible]
[illegible]
[illegible] आवेदक
[illegible]
खारिज किया जाता है।

18-10-16

[कृ. प. उ.